बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या–अ०सं०क०–01–04 / 2025......67....... /   पटना, दिनांक......02.02.2026

मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3 / सी०एस० / एम०–27 / 2018–83 दिनांक–09.01.2026 द्वारा प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने के लिए बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय 'सबका सम्मान–जीवन आसान' (Ease of Living) के मकसदों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को विभागीय सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–19.01.2026 से अपने कार्यालय कक्ष में अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक आमलोगों की शिकायतों की सुनवाई / निष्पादन से संबंधित निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश सं0–27 –सह–पठित ज्ञापांक–200 दिनांक–13.01.2026 में शिकायतों की सुनवाई / निष्पादन का समय 03.00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न को परिवर्तीत करते हुए 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया जाता है।

2. इस कार्य हेतु श्रीमती जयन्ति, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के नोडल पदाधिकारी, नामित करते हुए श्री प्रवीण कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्रीमती अंजु कुमारी, कार्यालय परिचारी को अपने कार्यो के अतिरिक्त उनके साथ सम्बद्ध किया जाता है। आवेदक / शिकायतकर्त्ताओं से प्राप्त परिवाद / आवेदन आदि से संबंधित शिकायतपंजी का संधारण एवं अनुश्रवण नोडल पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा। शिकायत पंजी में आवेदक का नाम, पूर्ण पता (मोबाईल नं0 सहित), आवेदन की विषयवस्तु, आवेदन क्रमांक एवं तिथि आदि संधारित करते हुए शिकायतकर्त्ताओं का हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जायेगा, तथा सभी आवेदक / शिकायतकर्त्ताओं को प्राप्ति रसीद भी दिया जायेगा। साथ ही **SSS Portal** पर भी इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये।

3. यदि विभागीय सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना सोमवार एवं शुक्रवार को किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते है तो उनके स्थान पर विशेष सचिव–सह–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना आमजनों की शिकायतों की सुनवाई / निष्पादन करेंगे।

4. कार्यालय में आगन्तुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ–साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे–शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

(i) प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(ii) एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

ह० / –

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– अ०सं०क०–01–04 / 2025....484..... /   पटना, दिनांक–....02.02.2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश सहित प्रेषित।

संजय – 22.01.26

सरकार के संयुक्त सचिव